

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल-462004

क्रमांक 139 / 52/रासेयो/2023/38,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 09/02/2024

कार्यक्रम समन्वयक, रासेयो,
समस्त विश्वविद्यालय,
(म.प्र.)

विषय:-राष्ट्रीय सेवा योजना गतिविधियों/कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु प्राचार्य के दायित्व।
सन्दर्भ:-उपसचिव म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक 859/1500204/2023/20-2 दिनांक
21.8.2023.

--0--

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रानुसार स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना गतिविधियों/कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु प्राचार्य के दायित्व के संबंध में पत्रानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

Rh 09/02/2024

(डॉ. आर.के. विजय)

राज्य एनएसएस अधिकारी, रासेयो
मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल दिनांक 09/02/2024

पृ.क्र. 148 / 52/रासेयो/2024/38,
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. कुल सचिव समस्त विश्वविद्यालय म.प्र.।
4. उपकार्यक्रम सलाहकार एवं क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय, क्षेत्रीय निदेशालय, भोपाल।
5. समस्त रासेयो जिला संगठक म.प्र.।

Rh 09/02/2024

राज्य एनएसएस अधिकारी, रासेयो
मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

A-52/NER/2024
09/02/2024

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 1859/1500204/2023/20-2

भोपाल दिनांक 21/08/2023

प्रति,

प्राचार्य

समस्त शासकीय उ.मा.वि. (रासेयो युक्त)
मध्यप्रदेश ।

विषय:-राष्ट्रीय सेवा योजना गतिविधियों / कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु प्राचार्य के दायित्व।

--0--

राष्ट्रीय सेवा योजना प्रदेश में 24 सितम्बर 1969 से संचालित है। इस अवधि में योजना की लोकप्रियता छात्र-छात्राओं में निरन्तर बढ़ी है जिसके फलस्वरूप प्रदेश में योजना का निरन्तर विस्तार हुआ है। यह देखने में आया है कि जहाँ-जहाँ संस्था के प्राचार्य ने रुचि ली है वहाँ योजना लक्षित परिणाम प्राप्त करने में सफल रही है तथा संबंधित क्षेत्रों में योजना क्रियान्वयन में गणमान्य व्यक्ति/जन साधारण ने सहभागिता की है।

शासन योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु कटिबद्ध है और संस्था प्रमुख होने के नाते प्राचार्य के रूप में आपकी महती भूमिका है। आपसे अपेक्षा है कि:-


- योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सेवा कार्यों में रुचि रखने वाले योग्य एवं अनुभवी शिक्षक को रासेयो कार्यक्रम अधिकारी नियुक्त किया जाय ।
- कार्यक्रम अधिकारियों को रासेयो कार्यक्रमों/गतिविधियों/प्रशिक्षण/ओरिएन्टेशन आदि कार्यक्रमों में सहभागिता के लिये यथासमय कार्यमुक्त किया जाये।
- संस्था प्रमुख विद्यालय के अन्य शिक्षकों को आवश्यकतानुसार योजना के संचालन हेतु निर्देशित करें।
- शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ में नियमानुसार रासेयो सलाहकार समिति की बैठक आयोजित कर, गतिविधियों के साथ गोदग्राम एवं शिविर ग्राम का चयन करेंगे तथा कार्ययोजना का निर्धारण करेंगे। रासेयो की नियमावली अनुसार रासेयो के सभी निर्देशों का पालन करें।
- कार्ययोजना बनाते समय यह ध्यान रखें कि विद्यार्थियों के अवकाश अवधि का रचनात्मक कार्यों में अधिकाधिक उपयोग हो सके।
- मध्यप्रदेश रासेयो संहिता में दिये गये निर्देशों के अनुरूप रासेयो की नियमित गतिविधियों एवं विशेष शिविर कार्यक्रम आयोजित किये जाये।
- विश्वविद्यालय को जानकारी एवं लेखा यथा समय में उपलब्ध कराएं ।

N/S
R/S
09/02/2024

4

- उच्च स्तर के आयोजनों में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करें।
- रासेयो इकाई हेतु अलग कक्ष उपलब्ध कराएं।
- नियमित गतिविधि तथा विशेष शिविर हेतु मार्गदर्शन प्रदान कर कठिनाईयों का निराकरण करें।
- रासेयो की गतिविधियों में प्राचार्य कार्यक्रम अधिकारियों को पूर्ण सहयोग करें।
- इस बात का ध्यान रखें कि विद्यालयों में रासेयो इकाई शिथिल न होने पाए।
- कार्यक्रम अधिकारी एवं सहयोगी शिक्षकों की गोपनीय चरित्रावली लिखते समय उनके रासेयो में योगदान का विशेष कर उल्लेख करें।
- प्राचार्य के कार्यों का मूल्यांकन करने तथा रासेयो में उनकी रूचि एवं क्रियाशीलता पर भी विचार किया जाएगा।

ज्ञातव्य है कि यह योजना विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एवं नेतृत्व विकास के लिए अवसर/मंच उपलब्ध कराने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।


(प्रमोद सिंह)
उप सचिव


मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल दिनांक 21/08/2023

क्रमांक/860/1500204/2023/20-2

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र.।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र.।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।
4. समस्त रासेयो कार्यक्रम अधिकारी, रासेयोयुक्त संस्थाएं, स्कूल शिक्षा म.प्र.।


उप सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

NES
Rb
7/9/2024